<u>न्यायालय अपर लघुवाद न्यायाधीश, बरेली।</u>

<u>उपस्थित–श्रीमती दीक्षी चौधरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)</u>

<u>J.O. Code–UP2591</u>

शोभारानी **बनाम** **गिरिजा शंकर आदि**

धारा– 323, 506 भा०दं०सं०
थाना–प्रेमनगर, जिला बरेली।
परिवाद सं०–576/2025

<u>30.03.2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **गिरिजा शंकर, रमा गंगवार, मुनीश कुमार व ज्ञानवती** की ओर से परिवाद सं० 576/2025, धारा 323, 506 भा०दं०सं०, थाना–प्रेमनगर, जनपद बरेली के प्रकरण में जमानत हेतु दिया गया है। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्तगण निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण पर द्वारा ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है, जैसा परिवाद पत्र में अंकित है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। परिवादी द्वारा झूठे तथ्यों पर आधारित प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण **गिरिजा शंकर, रमा गंगवार, मुनीश कुमार व ज्ञानवती** के विरुद्ध धारा 323, 506 भा०दं०सं० का आरोप है। अभियुक्तगण पर परिवादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सात वर्ष से कम सजा की अवधि में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी०बी०आई०** में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **गिरिजा शंकर, रमा गंगवार, मुनीश कुमार व ज्ञानवती (प्रत्येक)** को परिवाद सं० 576/2025, धारा 323, 506 भा०दं०सं०, थाना प्रेमनगर जनपद बरेली, में अं० 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर मामले के गुण–दोष पर बिना टिप्पणी किये अवमुक्त किया जाता है।

(श्रीमती दीक्षी चौधरी)

अपर लघुवाद न्यायाधीश
बरेली।

Digitally signed by DEEKSHI CHAUDHARY
Date: 2026.03.30 16:36:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court